

सं बी-20018/1 / 2008-09 / एनसीआरपीबी

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड NATIONAL CAPITAL REGION PLANNING BOARD

प्रथम तल, कोर-IV बी/1st Floor, Core - IV B भारत पर्यावास केन्द्र/India Habitat Centre लोघी रोड़, नई दिल्ली-110 003 / Lodhi Road, New Delhi-110 003 शहरी विकास मंत्रालय/Ministry of Urban Development

दूरभाष/Phone : 24642284, 24642287, फेक्स/Fax : 24642163

दिनांक 18.07.2016

सेवा मे

सूची के अनुसार ।

विषय:- एनसीआर प्लानिंग बोर्ड द्वारा जारी ऋण सहायता पर ब्याज दर और नियम व शर्तों में परिवर्तन

मुझे यह बताने का निर्देश हुआ है कि एनसीआर प्लानिंग बोर्ड द्वारा जारी ऋण सहायता पर ब्याज दर और नियम व शर्तों में निम्नलिखित संशोधन किया गया है : -

क्रम	परियोजनाओं की प्रकार /	ब्याज दर		समय सीमा		
सं	श्रेणी					
		वर्तमान ब्याज दर	संशोधित ब्याज दर *	वर्तमान	संशोधित	
(ii) (iii)	प्राथमिकता इन्फ्रास्ट्रक्चर परियोजना अर्थात जल आपूर्ति, सीवरेज, सफाई, जल निकासी, और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सइक, आर. ओ. बी. / आर. यू. बी. एवं एक्सप्रेसवे, सस्ती / ईडब्ल्यूएस हाउसिंग मेट्रो / रैपिड रेल / आर. आर. टी. एस.	7.50% प्रति वर्ष 7.50% प्रति वर्ष 7.50% प्रति वर्ष	7.00% प्रति वर्ष 7.00% प्रति वर्ष 7.00% प्रति वर्ष	15 वर्ष की अधिकतम अविध (मूल राशि के भुगतान के लिए 3 साल का स्थगन काल सहित) 10 वर्ष की अधिकतम अविध (मूल राशि के भुगतान के लिए 2 साल का स्थगन काल सहित) 10 वर्ष की अधिकतम अविध (मूल राशि के	अवधि (मूल राशि के भुगतान के लिए 2 साल का स्थगन काल सहित) 20 वर्ष की अधिकतम	
				भुगतान के लिए 2 साल का स्थगन काल सहित)	स्थगन काल सहित)	
(iv)	पावर सेक्टर परियोजनाओं उत्पादन, पारेषण और वितरण	7.50% ਸ਼ੁਨਿ ਕਥੇ	7.50% ਸ਼ਿੰਨੀ ਕਥੀ	10 वर्ष की अधिकतम अवधि (मूल राशि के भुगतान के लिए 2 साल का स्थगन काल सहित)	10 वर्ष की अधिकतम् अवधि (मूल राशि वे भुगतान के लिए 2 साल क स्थगन काल सहित)	
(v)	भूमि विकास परियोजनाओं आवासीय / औद्योगिक / वाणिज्यिकऔर अन्य बुनियादी सुविधाओं अर्थात। तकनीकी / चिकित्सा संस्थानों	प्रति वर्ष	8.50% प्रति वर्ष	10 वर्ष की अधिकतम अवधि (मूल राशि के भुगतान के लिए 2 साल का स्थगन काल सहित)	10 वर्ष की अधिकतम् अवधि (मूल राशि वे भुगतान के लिए 2 साल क स्थगन काल सहित)	

* एनसीआरपीबी ब्याज की दर और नियम व शर्तों में आवश्यक संशोधन करने का अधिकार सुरक्कित रखता है |

- 2. ब्याज की यह संशोधित दरे ऋण किश्तों के सभी ताजा रिलीज (नई / चल रही परियोजनाओं के लिए) लागू होंगी है। ऋण किश्तों की चुकौती अनुसूची (रीपेमेंट शिङ्यूल) के अनुसार, समय पर भुगतान हेतु, ब्याज दर में कमी (0.25%) की छूट, उपलब्ध होगीं।
- जल आपूर्ति और स्वच्छता परियोजनाओं के लिए मंजूर, परियोजना लागते का 15 % तक अनुदान (बोर्ड द्वारा निर्धारित नियम और शर्तों को पूरा करने पर) को जारी रखा जाएगा।
 यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया गया।

(सुशील पुरोहित)

निदेशक (ए एंड एफ)



राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड NATIONAL CAPITAL REGION PLANNING BOARD

प्रथम तल, कोर-IV बी/1st Floor, Core - IV B भारत पर्यावास केन्द्र/India Habitat Centre लोघी रोड़, नई दिल्ली-110 003 / Lodhi Road, New Delhi-110 003 शहरी विकास मंत्रालय/Ministry of Urban Development

दूरभाष/Phone : 24642284, 24642287, फेक्स/Fax : 24642163

Dated 18.07.2016

No. B-20018/1/2008-09/NCRPB

To

As per list.

Sub: Revision of Rate of Interest and terms& conditions on Loan Assistance given by NCR Planning Board.

I am directed to inform that the Rate of Interest and terms & conditions on Loan Assistance given by NCR Planning Board for various types of projects, have been revised as under:-

SI. No.	Types of projects/Category	Interest Rate		Tenure	
	projector eutogety	Present Interest Rate	Revised Interest Rate*	Present Tenure	Revised Tenure
(i)	Priority Infrastructure Project viz. Water Supply, Sewerage, Sanitation, Drainage,	7.50%p.a	7.00%p.a	Maximum of 15 year including moratorium period of 3 year for	Maximum of 15 year including moratorium period of 3 year
	and Solid Waste Management			repayment of principal amount	for repayment of principal amount
(ii)	Roads, ROB,s & Flyovers,RUB, Expressways,	7.50%p.a	7.00%p.a	Maximum of 10 year including moratorium period	Maximum of 10 year including moratorium
	Affordable/EWS Housing			of 2 year for repayment of principal amount	period of 2 year for repayment of principal amount
(iii)	Metro /Rapid Rail/RRTS	7.50%p.a	7.00%p.a	Maximum of 10 year including moratorium period of 2 year for	Maximum of 20 year including moratorium period of 5 year
				repayment of principal amount	for repayment of principal amount
(iv)	Power Sector Projects- Generation, transmission and	7.50%p.a	7.50%p.a	Maximum of 10 year including moratorium period	Maximum of 10 year including moratorium
	Distribution		71	of 2 year for repayment of principal amount	period of 2 year for repayment of principal amount
(v)	Land Development Projects- Residential/ Industrial/Commercial	9.25%p.a	8.50%p.a	Maximum of 10 year including moratorium period	Maximum of 10 year including moratorium
	and other Infrastructure viz. Technical/Medical institutions			of 2 year for repayment of principal amount	period of 2 year for repayment of principal amount

^{*} NCRPB reserves the right to revise the Rate of Interest and terms & conditions as and when necessary

Contd...2

- 2. This revised rate of interest shall be applicable for all fresh releases of loan installments for both ongoing as well as new projects. A rebate of 0.25% by reduction in interest rate, for timely payment of loan installments, strictly as per repayment schedule, shall be available.
- 3. Grant upto 15% of the sanctioned project cost for water supply and sanitation projects on completion subject to fulfillment of terms & conditions laid down by the Board shall be continued.

This issues with the approval of competent authority.

" on Short

(Sushil Purohit) Director (A&F)